फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती जमना बाई बनाम विपक्षी : राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कानोड

किस्म मुकदमा – 136 भू.राजस्व अधिनियम पत्रावली संख्या : 81/25

क्रमांक	कार्यवाही विवरण
	दिनांक : 15.07.2025

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र खाता दुरस्ती व तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट पेश करने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि ग्राम अरणिया पटवार हल्का पिथलपुरा की जमाबंदी संवत् 2078–2081 के खाता संख्या 43, 48, 77, 191, 246 में मेरा नाम जमनी पत्नी नन्दा दर्ज है जबकि मेरा सही नाम जमनाबाई पत्नी नन्दराम है। अतः सही नाम जमना बाई पत्नी नन्दराम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रार्थी के कथनानुसार ग्राम अरणिया पटवार हल्का पिथलपुरा की जमाबंदी संवत् 2078–2081 के खाता संख्या 43, 48, 77, 191, 246 में मेरा नाम जमनी पत्नी नन्दा दर्ज है जबकि मेरा सही नाम जमनाबाई पत्नी नन्दराम हैं जिससे संशोधित कर सही नाम जमना बाई पत्नी नन्दराम किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में पटवारी हल्का, भू–अभिलेख निरीक्षक व तहसीलदार कानोड द्वारा रिपोर्ट पेश की जिसमें बताया कि ग्राम अरणिया पटवार हल्का पिथलपुरा की जमाबंदी संवत् 2078–2081 के खाता संख्या 43, 48, 77, 191, 246 में प्रार्थी का नाम जमनी पत्नी नन्दा दर्ज है जबकि प्रार्थी का सही नाम जमनाबाई पत्नी नन्दराम है। तहसीलदार कानोड द्वारा राजस्व ग्राम अरणिया के खाता संख्या 43, 48, 77, 191, 241 में दर्ज प्रार्थी का नाम **जमनी पत्नी नन्दा** के बजाय **जमना बाई पत्नी नन्दराम** दर्ज किये जाने की अनुशंषा की।

अतः पटवारी हल्का, भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट व तहसीलदार कानोड की रिपोर्ट व अनुशंषा के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरुप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खाता दुरूस्ती का स्वीकार किया जाता है कि ग्राम अरणिया पटवार हल्का पीथलपुरा तहसील कानोड की जमाबंदी संवत् 2078–2081 के खाता संख्या नया 43, 48, 77, 191, 246 में दर्ज नाम **जमनी पत्नी नन्दा** को संशोधित कर **जमना बाई पत्नी नन्दराम** दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष बदस्तुर रहें। पालना हेतु तहसीलदार कानोड को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.29 16:20:35 IST
Reason: SelfAttested